बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

स0आ0 :–2/अ०प्र०–1–76/24 2886 /पटना, दिनांक :– 18-11-24

श्री वीरेन्द्र प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 को कार्य प्रमंडल, अररिया में कनीय अभियंता के रूप में पदस्थापन अवधि में अररिया जिला के सिकटी प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–2 अन्तर्गत वर्ष 2020–21 (बैच–1) में T05-Nepal Border Jhala Chowk to Jakirparas Last Border पथ के चैनेज 33.20km (package No-BR-01P2R-49) पर बकरा नदी पर निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण गुणवत्तापूर्ण नहीं किये जाने के लिए विभागीय संकल्प सं0–1864–सह–पठित ज्ञापांक 1865 दिनांक 18.06.2024 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रश्नगत पुल का जॉच प्रतिवेदन दिनांक 30.07.2024 उपलब्ध कराया गया। जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र के गठन के लिए मामले में कुछ अन्य बिन्दुओं पर भी जॉच की आवश्यकता है। इस आलोक में अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया।

वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने में समय लगने एवं इस आलोक में आरोप पत्र के गठन में विलम्ब होने की संभावना के कारण श्री प्रसाद के निलंबन आदेश को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(7) के तहत निलंबित किये जाने की तिथि 18.06.2024 से तीन माह की अवधि की समाप्ति की तिथि के प्रभाव से अगले चार माह की अवधि के लिए विस्तारित किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

15/11/24

(डा0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः—2/अ०प्र०—1—76/24 2886 /पटना, दिनांकः— 18-11-24

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

15/11/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः—2/अ०प्र०—1—76/24 2886 /पटना, दिनांकः— 18-11-24

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, अररिया/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/11/24
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः—2/अ०प्र०—1—76/24 2886 /पटना/दिनांकः— 18-11-24

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया/प्रशाखा पदाधिकारी—5, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री वीरेन्द्र प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति निलंबित सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, मुख्यालय—अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/11/24
संयुक्त सचिव